न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– श्री राजेशकुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 162 / 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 440

वादीनी	बनाम	प्रतिवादी
बाबुदेवी पुत्री स्व. घेवरचंद पत्नी नारायणलाल जाति खारवाल निवासी मंडापुरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.भंवरीदेवी पुत्री स्व. घेवरचंद पत्नी जगदीश प्रसाद 2.मांगीदेवी पुत्री स्व. घेवरचंद पत्नी हुक्माराम 3.रेवाशंकर पुत्र स्व. घेवरचंद 4.रायचंद पुत्र स्व. घेवरचंद 5.सोहन पुत्र स्व. घेवरचंद जाति खारवाल निवासी पचपदरा जिला बालोतरा 6.राजस्थान सरकार जरीयें तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेश नारायण खारवाल अधिवक्ता वादीनी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सम्पतसिंह खारवाल अधिवक्ता,प्रतिवादी संख्या 01 से 5 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 06 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक–27.10.2023

1. संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 202,204,223,224,225,235 व 236 कुल क्षेत्रफल 5.6277 हैक्टयर एंव इसी ग्राम की खसरा संख्या 1110/201 व 207/984 कुल क्षेत्रफल 0.6955 हैक्टयर भूमि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी में अवि[illegible] पक्षकारान का हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चल[illegible] फोत होने पर भरे गये फोतदगी नामान्तकरण में वादीनी का [illegible] में नाम इन्द्रादेवी इन्द्राज कर दिया गया,जबकि वादीनी का वास्तविक न[illegible]बूदेवी है और सरकारी दस्तावेज भी बाबूदेवी के नाम से बने हुए है। इस कारण वादीनी की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.12.12 18:18:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादग्रस्त भूमि में अपना अशुद्व नाम इन्द्रादेवी के स्थान पर बाबूदेवी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवानें हेतु वाद पेश किया गया है।

2.वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया। प्रतिवादी के रजिस्ट्रर्ड सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री सम्पतसिंह खारवाल की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की तरफ से वकालतनामा पेश किया और साथ ही उक्त प्रतिवादी की ओर से इकबाली जबाव पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 06 की ओर से भी जवाब पेश किया गया।

3.वादीनी के वादपत्र के समर्थन में प्रतिवादी की तरफ से इकबाली जवाब पेश किए जाने के कारण तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं रही। वादीनी की ओर से साक्ष्य में स्वंय का लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में ईएक्स. 1–वादग्रस्त भूमि ग्राम मंडापुरा की खसरा संख्या 1110/201 व 207/984 जमाबंदी प्रति,ई.एक्स.2–इसी ग्राम कह नक्शा ट्रेस प्रति,ई.एक्स.3–इसी ग्राम की जमाबंदी खसरा संख्या 202,204,223,224,225,235 व 236 प्रति,ई.एक्स.4–परिवार राशन कार्ड नम्बर 00971 प्रति,ई.एक्स.5–आधार कार्ड नम्बर 746258445398 प्रति,ई.एक्स.6–जनआधार कार्ड नम्बर 4860577716 प्रति,ई.एक्स.7–आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड नम्बर AUQPD8902F प्रति एवं ई.एक्स.8–बैंक खाता डायरी श्रीमति बाबूदेवी की प्रति प्रदर्शित करवाई गई।

4.दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील वादीनी ने वाद के तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया कि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 202,204,223,224,225,235 व 236 कुल क्षेत्रफल 5.6277 हैक्टयर एंव इसी ग्राम की खसरा संख्या 1110/201 व 207/984 कुल क्षेत्रफल 0.6955 हैक्टयर भूमि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है और पक्षकारान का हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीनी के पिता धेवरचंद के फौत होने पर भरे गये फोतदगी नामान्तकरण में वादीनी का धेरलू बोलचाल में नाम इन्द्रादेवी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया,जबकि वादीनी का वास्तविक नाम बाबूदेवी है और सरकारी दस्तोवज भी बाबूदेवी के नाम से बने हुए है। लेकिन राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में वादीनी का गलत नाम इन्द्राज होने के कारण सरकारी योजनाओं का कोई परिलाभ नहीं मिल पा रहा है तथा वादीनी अपने हक हकूकों से महरूम रह रही है। जबकि वादीनी के अन्य सरकारी दस्तोवज आधार कार्ड,परिवार राशन कार्ड,जनआधार कार्ड,आयकार विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड व बैक खाता डायरी इत्यादि में वादीनी का वास्तविक सही नाम बाबुदेवी दर्ज हो रखा है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादीनी का गलत नाम इन्द्राज होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में वादीनी का अशुद्व नाम इन्द्रादेवी के स्थान पर बाबुदेवी दर्ज करवानें के आदेश किया जावें।

5.वकील प्रतिवादी की बहस है कि वादग्रस्त भूमि में वादीनी का अशुद्व नाम इन्द्रादेवी इन्द्राज हो रखा है,जबकि वादीनी का वास्तविक नाम बाबुदेवी है और सरकारी दस्तावेज भी सही नाम से बने हुए है। वादीनी का वादग्रस्त भूमि में इन्द्रादेवी [illegible] सही नाम बाबुदेवी दुरूस्त किया जाता है,तो प्रतिवादी की कोई आपत्ति नहीं है।

6.हमनें दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और [illegible] किया तथा पत्रावली पर उलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का [illegible]रतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 202,204,223,224,225,235,236

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.12.12 18:18:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

कुल क्षेत्रफल 5.6277 एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 1110/201 व 207/984 कुल क्षेत्रफल 0.6955 हैक्टयर भूमि में वादीनी का नाम इन्द्रादेवी पुत्री धेवरचंद इन्द्राज हो रखा है। जबकि वादीनी की ओर से वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम इन्द्रादेवी होना जाहिर किया है और अपना सही नाम बाबुदेवी इन्द्राज करवानी चाहती है और सरकारी दस्तावेज यथा–आधारकार्ड,राशनकार्ड,जनआधार कार्ड,बैंक खाता डायरी एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड प्रति में वादीनी का नाम बाबुदेवी दर्ज हो रखा है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा वादीनी के वादपत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए इकबाली जबाव पेश किया तथा बहस में स्वीकार भी किया है,कि वादीनी का वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम इन्द्रादेवी इन्द्राज हो रखा है,जबकि वास्तविक सही नाम बाबुदेवी है और सही नाम बाबुदेवी दुरूस्त किया जाता है,तो प्रतिवादी को आपति नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 06 की ओर से भी नाम शुद्व करने बाबत जवाब पेश किया गया है।

7.उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीनी का वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम इन्द्रादेवी इन्द्राज हो रखा है,जबकि वास्तविक नाम बाबुदेवी है। ऐसी सूरत में वादीनी का वाद स्वीकार योग्य है।

:निर्णय:

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीनी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 202,204,223 ,224,225,235,236 कुल क्षेत्रफल 5.6277 एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 1110/201 व 207/984 कुल क्षेत्रफल 0.6955 हैक्टयर भूमि में वादीनी का नाम **इन्द्रादेवी पुत्री धेवरचंद के स्थान पर इन्द्रादेवी उर्फ बाबुदेवी पुत्री धेवरचंद** दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेशकुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 27.10.2023 को लिखा जाकर सरे [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.12.12 18:18:00 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री—पर्चा

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा,जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:— **श्री राजेश कुमार ,आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या :— **162 / 2023**

जी.सी.एम.एस. नम्बर **2023 / 440**

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
बाबुदेवी पुत्री स्व. घेवरचंद पत्नी नारायणलाल जाति खारवाल निवासी मंडापुरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.भंवरीदेवी पुत्री स्व. घेवरचंद पत्नी जगदीश प्रसाद 2.मांगीदेवी पुत्री स्व. घेवरचंद पत्नी हुक्माराम 3.रेवाशंकर पुत्र स्व. घेवरचंद 4.रायचंद पुत्र स्व. घेवरचंद 5.सोहन पुत्र स्व. घेवरचंद जाति खारवाल निवासी पचपदरा जिला बालोतरा 6.राजस्थान सरकार जरीयें तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबत:—88 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर 162 / 2023
निर्णय दिनांक :—27.10.2023

वादीगण की ओर से श्री सुरेश नारायण खारवाल अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री सम्पतसिंह खारवाल अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 06 की अनुपस्थिति इस वाद में आज तारीख 27.10.2023 को श्री राजेशकुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:—वाद वादीनी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 202,204,223,224,225,235,236 कुल क्षेत्रफल 5.6277 एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 1110 / 201 व 207 / 984 कुल क्षेत्रफल 0.6955 हैक्टयर भूमि में वादीनी का नाम **इन्द्रादेवी पुत्री धेवरचंद के स्थान पर इन्द्रादेवी उर्फ बाबुदेवी पुत्री धेवरचंद** दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज तारीख 27.10..2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी कर दी गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.12.12 18:18:00 IST
Reason: SelfAttested

(राजेशकुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीनी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.पदर्शो के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर्स की फीस	
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	———	5.आदेशिका की तामील	—————
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	———	जोड़	————

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.12.12 18:18:00 IST
Reason: SelfAttested